



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(2)वि.अ./परावि/प्रशा.1/स्थानान्तरण/2010/पार्ट-2/230 जयपुर,दिनांक:-

-: आदेश :-

17-1-18

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति में किये जाते हैं:-

क्र. स.	नाम विकास अधिकारी	कहां से पंचायत समिति	कहां को पंचायत समिति	विशेष विवरण
1.	श्री आईदान सिंह सोलंकी	लाडपुरा (कोटा)	लोहावट (जोधपुर)	श्री नरपत सिंह भाटी के स्थान पर
2.	श्री नरपत सिंह भाटी, RRDS	लोहावट (जोधपुर)	जसवन्तपुरा(जालौर)	रिक्त पद पर

उक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, कोटा/जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर, कोटा/जोधपुर/जालौर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा/जोधपुर/जालौर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा/लोहावट/जसवन्तपुरा।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)